

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- ई-18/एम/नियु0/मृआ/2019/ 129

दिनांक:- 1/3/2019

**आदेश**

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित आश्रितों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है। परिवीक्षा की कालावधि के दौरान निम्नलिखित मृतक आश्रितों को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.17 के द्वारा नियत 14600/- रूपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर कनिष्ठ सहायक का नियमित वेतनमान लेवल इन पे-मेट्रिक्स एल-5 अनुज्ञात किया जावेगा।

क्र० सं०	आश्रित / मृतक कर्मचारी का नाम / पता	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान
1	श्री अवेश मोहम्मद सांखला पुत्र स्व० श्री शहबाज, निवासी मदीना मस्जिद के पास, ग्राम रसूलपुरा, वाया मदार, जिला अजमेर	29.12.95	अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर
2	श्री महेश परिहार पुत्र स्व० श्रीमती पुष्पा देवी, निवासी पानी की टंकी के पास, कुम्हारों का बास, बाली जिला पाली	16.08.96	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही
3	श्री सुनिल रामचंदानी पुत्र स्व० श्रीमती आशागोपाल दास, पता सी-24, सूर्य नगर, गोकुलपुरा नालन्दा स्कूल के पास, झोटवाडा जयपुर	29.09.93	अधीक्षक, सवाई मानासिंह चिकित्सालय, जयपुर
4	श्री नरेश कुमार पुत्र स्व० श्री पारसमल, निवासी हरिजनों का मौहल्ला बगरा, तह० व जिला जालौर	28.12.87	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर
5	श्री अर्जुन लाल पति स्व० श्रीमती रूकमणी कुमारी, गांव पोस्ट बांठोद, तहसील फतहपुर, सीकर 332301	08.02.79	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय डी०बी० सामान्य चिकित्सालय, चूरु
6	श्री बलवीर डिंडोर पुत्र स्व० श्रीमती ईटली देवतरा, मुकाम डांडव, पोस्ट डोकर, तहसील आनन्दपुरी, बासवाडा	12.10.99	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सज्जनगढ, बासवाडा
7	श्री विक्रम चतुर्वेदी पुत्र स्व० श्रीमती शशीकला शर्मा, गली नं० 1, शिव मंदिर के पास, दीनदयाल कॉलोनी, निवाई, टोंक	01.06.91	सामु० स्वा० केन्द्र, शिलाय जिला टोंक
8	श्री विरेन्द्र कुमार बायल पुत्र स्व० श्री बाबू लाल वर्मा, मु० पो० चला, तहसील नोमवाथाना जिला सीकर राजस्थान पिन कोड 332706	08.09.86	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्री कपिल देव राजकीय सामान्य चिकित्सालय, नीम का थाना, सीकर
9	श्री अमनीश कुमार पुत्र स्व० श्री निर्भय सिंह, निवासी समराया, तह० वैर, जिला भरतपुर	12.01.87	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर
10	श्री नितिन तिवारी पुत्र स्व० श्री अजय कुमार तिवारी, 120 लक्ष्मण कॉलोनी, श्याम नगर विस्तार, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर	26.10.83	अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
11	श्री बलजीत सिंह पुत्र स्व० श्री नक्षत्र सिंह, वार्ड नं० 11 पीलीबंगा हनुमानगढ, राज० पिन 335808	04.07.95	सामु० स्वा० केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ
12	श्री विकास कुमार पुत्र स्व० श्री सीताराम, निवासी तलबी रोड रामेदा मार्ग भील बस्ती भीनमाल, जालौर	05.09.96	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर

13	श्री नरेश चरपोटा पुत्र स्व० श्री सोमा चरपोटा, मु.पो. हेरपाडा, पोस्ट ओडवाडा तहसील गढी, जिला बांसवाडा	01.07.94	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दरियावाद जिला प्रतापगढ
14	श्रीमती नीतू यादव पत्नी स्व० श्री अजय बाबू यादव, 116 जगदीशपुरी, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर	11.07.79	निदेशालय मुख्यालय
15	श्री कुलदीप पायल पुत्र स्व० श्रीमती सुमन कुमारी, 138 बसन्त विहार सी, दिगपुरा गांव पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर	19.09.91	मुख्य खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर
16	श्री राहुल मीणा पुत्र स्व० श्री भूरसिंह मीणा, ग्राम पोस्ट कोटरी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान पिन 322234	23.08.94	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(प०क०) करौली
17	श्री संदीप कुमार पुत्र स्व० श्री मंगल प्रसाद, जाखडावाली, तह० पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ	28.01.98	सामु० स्वा० केन्द्र, नोहर, जिला हनुमानगढ
18	श्री अभिषेक गोदारा पुत्र स्व० डॉ० राजपाल गोदारा, निवासी पीपीओ दुलमाना, तह० पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ	03.06.95	सामु० स्वा० केन्द्र, गोलूवाला, जिला हनुमानगढ
19	श्री कुलदीप जोशी पुत्र स्व० श्री देवेन्द्र कुमार जोशी, मुकाम दयानन्द मार्ग, कुशलगढ, तह० कुशलगढ, जिला बांसवाडा	14.01.95	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशलगढ, बांसवाडा
20	श्री राकेश कुमार यादव पुत्र स्व० श्री दिलीप कुमार यादव, ग्राम पोस्ट गोठडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर	30.07.92	सामु० स्वा० केन्द्र, गहनकर, जिला अलवर
21	श्री नागेन्द्र सिंह शक्तावत पुत्र स्व० श्री तेजराज सिंह शक्तावत, निवासी बूटा की बाडी, बोरखेडा, कोटा	25.08.82	अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत मृतक आश्रित के रूप में नवनियुक्त उक्त आश्रितों को सरकारी सेवा में नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अपनी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आवेदकों का संबंधित अधिकारी नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं प्रागवृत्ति सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करवाये, परन्तु नियुक्ति में प्रथम उपस्थिति के समय राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 17 के अन्तर्गत अपने चरित्र के संबंध में उस विद्यालय का जिसमें अंतिम शिक्षा पायी है, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा साथ में दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो विद्यालय से संबंधित न हो और न कोई रिश्तेदार हो। इनके द्वारा कार्यग्रहण करते समय सम्बन्धित अधिकारी को अपनी जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगे। जिसकी जाँच एवं संतुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारी इन्हें कर्तव्य पर लेंगे। मृतक आश्रित आवेदक द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता संबंधी अकतालिका/प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से आवश्यक रूप से करवाये।

राज्य सरकार के मेमोरेण्डम संख्या एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवं सप्तसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 27.03.04 के अन्तर्गत अंशदायी पेंशन योजना परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प05(51)/कार्मिक/क-2/88 दिनांक 27.02.2001 के अन्तर्गत उपरोक्त मृतक आश्रित अपने पारिवारिक सदस्यों का उचित तौर पर भरण-पोषण करेंगे। नियुक्ति के पश्चात् किसी भी समय यह सचिद हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो शासन की इस अधिसूचना के अन्तर्गत इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प05(51)कार्मिक/क-2/88पार्ट दिनांक 21.09.10 के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति पश्चात् एक वर्ष के भीतर परिपत्र क्रमांक एफ07(2)कार्मिक/क-2/06 दिनांक 05.07.10 में वर्णितानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत स्थायीकरण हकदारी हेतु/वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के संदर्भ में 2 वर्ष के परीक्षा काल में ही टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि दो वर्ष में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जाती है तो आगामी एक वर्ष परीक्षा काल बढ़ाया जा सकेगा जिससे बढी हुई अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। ऐसा न होने पर नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किये जाने पर विभाग/संबन्धित अधिकारी के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकेगा। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ (51) डीओपी/ए-2 88 पार्ट दिनांक 14.06.2013 के अनुसार मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्त विधवा को टंकण परीक्षा से छूट दी जाती है।

*(Handwritten signature)*

उक्त आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के क्रम में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक सामुहिक चिकित्सालय संघ/आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में गलत तथ्य या विसंगति पाई गई तो यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश उस संबंधित आवेदन की समाप्ति तक प्रारम्भ से ही शून्य होगी


आश्रित को नियुक्ति दिये जाने का इन्द्राज मृतक की सेवा पुस्तिका में करें। इन्हें नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। इनके मूल आवेदन पत्रादि सम्बन्धित को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखा जायेगा।

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के परिपत्र/ज्ञापन क्रमांक एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 आदेश क्रमांक एफ6(4)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 आदेश क्रमांक एफ6(5)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 परिपत्र क्रमांक एफ1(4)एफडी/रूल्स/2017-I-II दिनांक 30.10.2017 एवं परिपत्र क्रमांक एफ12(9)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानों से शासित होगी !

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- ई-18/एम/नियु0/मृअ/2019/ 129 दिनांक:- 11/3/2019  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यघाहा हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री, राज0 जयपुर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर
- 3- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
- 5- वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
- 6- उप निदेशक (प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय मुख्यालय।
- 7- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन .....
- 8- संबंधित अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह...../ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी...../ अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) करौली/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी...../ मुख्य खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर/ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु0स्वा0 केन्द्र...../ खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी..... को भेजकर लेख है कि संबंधित मृतक आश्रित का पुलिस वैरीफिकेशन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराये।  
नोट:-सम्बन्धित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे है (रजिस्टर्ड पत्र)
- 9- प्रभारी, सामान्य अनुभाग अराजपत्रित, मुख्यालय।
- 10- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये।
- 11- संबंधित मृतक आश्रित को घर के पते पर।
- 12- आदेश/निजी पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।